दिनांक 17.06.2014 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ बिहार में बिजली वितरण की प्रगति एवं समस्याओं के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि बिजली कम्पनी द्वारा जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत की आपूर्त्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि इस लक्ष्य से कम विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है तो उसके कारणों की समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा की जाये। साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत खरीद कर बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है अतः यह जरूरी है कि बिजली खरीद के अनुपात में राजस्व की वसूली हो। जिलाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे और कम्पनी के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी राजस्व वसूली पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करेंगे।

मुख्य सचिव द्वारा मुख्य रुप से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति, राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, MPLAD/CMLAD के मद में ट्रान्सफॉरमर बदलने के कार्य में तेजी, जर्जर तारों को बदलना तथा RGGVY एवं स्पेशल प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय कार्यान्वयन पर जिलाधिकारी से निगरानी और समीक्षा करने का अनुरोध किया गया।

बिजली आपूर्त्ति एवं राजस्व संग्रहण में अपेक्षित तेजी लाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता है :-

(1) जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जितनी राशि की बिजली जिला में दी जाती है उतनी राशि की वसूली की जाय।

(2) शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विपत्रीकरण मीटर रीडिंग के आधार पर सुनिश्चित किये जायें।

(3) ट्रान्सफारॅमर का समुचित मेंटेनेन्स किया जाय ताकि ट्रान्सफॉरमर नहीं जले।

(4) ओवरलोड के कारण जहाँ ट्रान्सफॉरमर अधिक जलते हैं, वहाँ अतिरिक्त ट्रान्सफॉरमर लगाये जायें।

(5) जिलाधिकारी प्राथमिकता तय करते हुए जर्जर तारों के बदलने के कार्यों में तेजी लायेंगे और बदले गये पुराने तार को स्टोर में सुरक्षित लौटाया जाए।

(6) शहरी क्षेत्रों में MMC पर बिलिंग पूर्ण रूप से बंद कराना सुनिष्चित करें।

(7) शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें।

(8) RGGVY एवं स्पेशल प्लान के तहत कई योजनायें स्वीकृत हैं, इसके लिए काफी राशि स्वीकृत की गई है। सभी जिला पदाधिकारी अपने-अपने जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अन्य योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारियों को ऊर्जा सचिव–सह–अध्यक्ष–सह– प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं० लि० द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :

(A) विद्युत वितरण संरचना के रख–रखाव के लिए तकनीकी निर्देश :

1. जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली आपूर्त्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाय।
2. ट्रान्सफॉरमरों का DT Coding कराते हुए सभी उपभोक्ताओं का Consumer Indexing संबंधित ट्रांसफार्मर से निश्चित रूप से करा ली जाय।
3. क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ट्रान्सफॉरमर उपलब्ध कराकर इसकी कमी को दूर किये जायें तथा ओभरलोडेड कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों (63KVA) की क्षमता विस्तार कर इसे 100/200 KVA ट्रांसफार्मरों से बदला जाना है।
4. सभी ट्रान्सफॉरमर में Lightening Arrester लगाने हेतु सामग्रियाँ 15 दिनों में क्षेत्रीय भंडारों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
5. दरभंगा में टी0आर0डब्लू० द्वारा मरम्मत कराये गये ट्रान्सफॉरमर ज्यादा मात्रा में जल रहे हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता, टी0आर0डब्लू० एवं परियोजना प्रबन्धक, तकनीकी सेवायें द्वारा भी इसकी गुणवत्ता की समीक्षा की जाये।
6. ए0 बी0 स्वीच सभी ट्रांसफार्मरों पर लगाए जाने है एवं प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्रों से इसकी शुरूआत की जानी है।
7. जर्जर तारों को बदल दिये जायें और पुराने बदले गये तारों को कम्पनी के स्टोर में जमा कराना भी सुनिश्चित करायें।
8. जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि सहायक विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट)/कनीय विद्युत अभियंता(प्रोजेक्ट) तथा मीटर रीडिंग एजेंसियों के साथ साप्ताहिक/मासिक समीक्षा की करें।
9. बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पावर ट्रान्सफॉरमर की क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

2. राजस्व संग्रहण :

(2.1) मीटर रीडिंग का आंकड़ा बढ़ा है; परन्तु राजस्व वसूली स्थिर है। मीटर रीडिंग सही है या नहीं, इसकी जाँच कराई जाय।

(2.2) राजस्व वृद्धि के लिए तीन मुख्य बिन्दु यथा मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा बडे बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन और उसके भुगतान पर केन्द्रित करें।

(2.3) MMC पर बिलिंग बिल्कुल बन्द करायी जाय।

(B) विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान :

1. शहरी क्षेत्रों में किसी तरह की बिजली चोरी न हो, इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी कराते हुए पूर्णरुपेण नियंत्रण किया जाय ।

(3 b)

2. शहरी क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों के मीटर एवं अवैध विद्युत् चोरी की जाँच अनिवार्य रुप से करायी जाय।

3. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक इस अभियान को संरक्षण प्रदान करेंगे।

(C) <u>मानव संसाधन सम्बन्धी:</u>

1. जिन अभियंताओं/कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जायेगा, उन पर कड़ी अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। पुराने अभियंता जिसका कार्य संतोषप्रद नहीं है उनको अनिवार्य सेवानृति दी जाए एवं नए अभियंताओं को प्रोत्साहन दिया जाए।

2. मसरख ग्रीड के निकट गांव वाले फीडर से अन्य जगहों पर लाईन देने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिला पदाधिकारी इस संबंध में असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर ठोस कानूनी कार्रवाई करें।

3. सहायक विद्युत अभियंता (परियोजना) एवं कनीय विद्युत अभियंता (परियोजना) अगली मीटिंग में उपस्थित रहेंगे क्योंकि परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख उनके द्वारा की जाती है।

4. सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व), दरभंगा(शहरी) ही विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमण्डल, लहेरियासराय के प्रभार में हैं। अतः जिलाधिकारी के अनुरोध पर सहायक विद्युत अभियंता का पदस्थापन मानव संसाधन विभाग द्वारा अविलम्ब किया जाना है।

5. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, शिवहर का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं है। यदि इनके कार्यलाप में सुधार नहीं होता है तो इनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

6. कटिहार जिले के विद्युत कार्यालयों में दलालों के सक्रिय होने की शिकायत प्राप्त हुयी है। नये विद्युत संबंध, लोड बढ़ाने, विद्युत छापामारी आदि में दलालों की भूमिका चिंता का विषय है। अतः दलालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है एवं उपभोक्ता सुविधाओं में पारदर्शिता लायी जानी है।

7. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, बेतिया का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं है। यदि उनके कार्यकलाप में सुधार नहीं आता है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

8. विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति अंचल, मोतिहारी के कार्यकलाप पर असंतोष प्रकट किया गया।

9. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमण्डल, सरैया के सहायक विद्युत् अभियन्ता, श्री राहुल कुमार के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गयी कि वे कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं एवं काम नहीं करते हैं। पूर्व में भी विद्युत कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर(ग्रा0) द्वारा भी उनके खिलाफ रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा गया है कि उनका कार्यकलाप ठीक नहीं है। अतः अगर उनके कार्य में अगले माह तक सुधार नहीं होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है।

a

(D) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. रि–कन्डक्टरिंग का काम A2Z कम्पनी द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। अतः A2Z कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों को अलग कर बाकी बचे हुए रि–कंडक्टरिंग के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्टेट प्लान के तहत कराया जाय।
2. ADB सम्पोषित योजना, RGGVY, RAPDRP Part-A एवं B , Special Plan (BRGF) एवं राज्य योजना अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा जिला पदाधिकारी स्तर पर की जाय।
2. MPLAD/CMLAD योजना के तहत DF Area में कम्पनी द्वारा या एस्सेल द्वारा ट्रान्सफॉरमर लगाया जायेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस पर निर्णय अलग से लिया जाना है।
3. कटिहार जिला में अमदाबाद में अभी तक बिजली नहीं है। यहाँ बिजली की व्यवस्था की जाय।
4. अररिया, किशनगंज एवं कटिहार में रि–कंडक्टरिंग का कार्य गोदरेज कम्पनी द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसकी समीक्षा जिलाधिकारी करेंगे।
5. अररिया में पीन इन्सुलेटर की कमी बताई गई। इस कमी को मुख्य अभियंता (क्रय एवं भंडार) अविलम्ब दूर करेंगें।
6. जिला पदाधिकारियों द्वारा सर्टिफिकेट केस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
7. A2Z कम्पनी का बेगुसराय, मोतिहारी और समस्तीपुर में रि–कंडक्टरिंग का काम संतोषजनक नहीं है। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगें।
8. विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता, सिवान द्वारा बताया गया कि A.B. Switch स्टोर में उपलब्ध रहने के बावजूद चैनल नहीं रहने के कारण लगाया नहीं जा रहा है। मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार) द्वारा बताया गया कि चैनल विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् आपूर्ति अंचल के द्वारा स्थानीय स्तर से खरीदा जाना है। ऊर्जा सचिव द्वारा सभी विद्युत् अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
9. मधुबनी में GKC कम्पनी का कार्य असंतोषजनक है। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।
10. RAPDRP-Part-A एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर संबंधित रिलायन्स कम्पनी के साथ समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक की जायेगी।
11. इस महीने के अन्त तक सभी विद्युत भंडार गृहों में आवश्यक सामानों जैसे ट्रान्सफॉरमर, तार, पोल, ए0बी0स्वीच, लाईटनिंग एरेस्टर, पीन एवं डिस्क इंसुलेटर, मीटर आदि की उपलब्धता क्रय एवं भंडार विभाग सुनिश्चित करेंगें।

अन्त में धन्यवाद सहित सभी जिला पदाधिकारियों को बिजली के क्षेत्र में गहन समीक्षा कर सुधार लाने हेतु निदेश दिया गया।

5/6/14

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–प्र02/विविध–वि0को0–18/13– 2240 पटना, दिनांक– 2/7/14

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/7/14

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।